न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः– ओम प्रकाश चन्देलिया आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 72/2023 **दायर दिनांकः 05.07.2023**

उनवान

1. सुनिल उम्र 30 वर्ष पुत्र घांसीलाल जाति मीणा निवासी निमोदा तहसील अटरू जिला बारां (राज०)

वादी

बनाम

1. घांसीलाल उम्र 50 वर्ष पुत्र देवीलाल जाति मीणा निवासी निमोदा तहसील अटरू जिला बारां (राज०)
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तह0 अटरू जिला बारां।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 92 'ए' आर.टी.एक्ट

उपस्थिति :–
वादीगण :– विद्वान अभिभाषक श्री सुरेश कुमार शर्मा
प्रतिवादीगणः– स्वयं

निर्णय दिनाकः 30.06.2025

वादी ने यह दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 92 ए आर.टी.एक्ट का इस आशय का पेश किया है कि ग्राम निमोदा तहसील अटरू में खाता सं. 41 की ख.नं. 234 की 0.80 हे०, ख.नं. 430/74 की 0.03 हे0, ख.नं. 431/76 की 0.11 हे0, ख. नं. 432/96 की 0.30 हे0, ख.नं. 433/151 की 4.32 हे0, ख.नं. 434/258 की 0.88 हे०, ख.नं. 63 की 0.94 हे0, ख.नं. 65 की 1.22 हे0, ख.नं. 95/346 की 0.10 हे0 कुल 9 किता की 8.70 हेक्टर भूमि स्थित है। जिसमें प्रतिवादी क्रम 1 का हिस्सा 1/2 है। जिसकी नकल जमाबन्दी संलग्न है जो काबिल गौर है। प्रतिवादी क्रम 1 के वादी सुनिल मीणा एवं उससे छोटा त्रिलोक मीणा एवं उससे छोटी दीपिका मीणा पुत्र एवं पुत्री है जिनमें वादी सबसे बड़ा पुत्र है जो पिता से अलग निवास करता है। वादी को प्रतिवादी ने अपने हिस्से की भूमि में से 1/2 हिस्सा वादी को काश्त करने को दे रखा है जिस पर वादी ही काश्त करके अपना पेट पालन करता है। वादी को उक्त भूमि में काश्त करने के लिए खाते दर्ज नहीं होने के कारण कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए वादी प्रतिवादी के हिस्से 1/2 में से हिस्सा 1/2 अपने खाते दर्ज करवाना चाहता है जिसका वादी को पूरा

कानूनी अधिकार प्राप्त है। जो बिना सहायता न्यायालय सम्भव नहीं है। वाद कारण प्रथम बार व अन्तिम बार दिनांक 15/06/2023 को आराजी खाते दर्ज कराने बाबत श्रीमान तहसीलदार साहब अटरू से निवेदन करने पर उनके द्वारा न्यायालय में वाद करने की कहने पर माननीय न्यायालय के सीमा क्षेत्र में उत्पन्न हुआ। वादी द्वारा राजस्थान सरकार जर्ये जिला कलेक्टर महोदय बारां को 80 सी०पी०सी० का नोटिस मियादी दो माह प्रेषित करवा दिया है। लेकिन प्रतिवादी क्रम 1 वाद पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी ग्राम निमोदा तहसील अटरू कुल किता 9 की 8.70 हेक्टर भूमि को खुर्द बुर्द करने पर आमादा है। इसलिए वाद आवश्यक प्रकृति का होने की वजह से नोटिस की अवधि समाप्त होने से पूर्व ही धारा 80 (2) सी०पी०सी० के प्रार्थना पत्र के साथ में वाद पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर वाद की नियमित सुनवाई की जावे। उक्त भूमि ग्राम निमोदा तहसील अटरू में होने के कारण उक्त भूमि का क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार श्रीमान को प्राप्त है। वाद उचित न्याय शुल्क पर पेश है।

अतः माननीय न्यायालय में वादी वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन करता है कि निम्न आशय की डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण पारित की जावे कि :—

(अ) वादी को वाद पत्र की मद नं. 1 में वर्णित प्रतिवादी क्रम 1 के खाता सं. 41 की कुल 9 किता की 8.70 हेक्टर भूमि में प्रतिवादी क्रम 1 का हिस्सा 1/2 में से वादी को 1/2 हिस्सा का खातेदार कृषक घोषित किया जावे।

(ब) अन्य न्यायोचित सहायता जो माननीय न्यायालय उचित समझे वह वादी को प्रदान की जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादीगण की तलबी जर्ये सम्मन की गई। प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा स्वयं उपस्थित होकर राजीनामा इस आशय का पेश किया कि ग्राम निमोदा तहसील अटरू में खाता संख्या 41 की ख.नं. 234 की 0.80 हे०, ख.नं. 430/74 की 0.03 हे0, ख. नं. 431/76 की 0.11 हे0, ख. नं. 432/96 की 0.30 हे0, ख.नं. 433/151 की 4.32 हे0, ख.नं. 434/258 की 0.88 हे०, ख.नं. 63 की 0.94 हे0, ख.नं. 65 की 1.22 हे0, ख.नं. 95/346 की 0.10 हे0 कुल 9 किता की 8.70 हेक्टर भूमि प्रतिवादी क्रम 1 के खाते हिस्सा 1/2 दर्ज है। जिसमें वादी को खाता संख्या 41 की कुल किता 9 का कुल रकबा 8.70 है0 भूमि में से प्रतिवादी क्रम 1 का हिस्सा 1/2 में से वादी को 1/2 हिस्से का खातेदार कृषक घोषित किया जावें।

अतः उक्त राजीनामा पेश कर निवेदन है कि मुताबिक राजीनामा प्रतिवादी क्रम 2 को आदेश किया जावें कि वह राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर वादी को खातेदार कृषक घोषित किया जावें।

अभिभाषक वादी की बहस सूनी गई। अभिभाषक वादी द्वारा बहस के दौरान पत्रावली में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि ग्राम निमोदा तहसील अटरू में खाता सं. 41 की कुल 9 किता का कुल रकबा 8.70 हेक्टर भूमि में प्रतिवादी क्रम 1 का हिस्सा 1/2 दर्ज रिकार्ड है। प्रतिवादी क्रम 1 के वादी सुनिल मीणा एवं त्रिलोक मीणा पुत्र एवं दीपिका मीणा पुत्री है जिनमें वादी सबसे बड़ा पुत्र है जो पिता से अलग निवास करता है। वादी को प्रतिवादी ने अपने हिस्से की भूमि में से 1/2 हिस्सा वादी को काश्त करने को दे रखा है। वादी को उक्त भूमि में काश्त करने के लिए खाते दर्ज नहीं होने के कारण कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए वादी प्रतिवादी के हिस्से 1/2 में से हिस्सा 1/2 अपने खाते दर्ज करवाना चाहता है।

अधिवक्ता वादी द्वारा अपने तर्कों के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किये–

- मूल चन्द बनाम मंगली व अन्य (Revision No. 10844/Jaipur of 01) माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर।

बहस के परिपेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध नकल जमाबन्दी ग्राम व माल निमोदा पटवार मण्डल भैंसडा तहसील अटरू की जमाबन्दी सम्वत 2072–2075 का खाता संख्या 41 कुल किता 9 का कुल रकबा 8.70 है0 भूमि प्रतिवादी क्रम 1 घांसीलाल पुत्र देवीलाल जाति मीणा निवासी निमोदा के शामलाती खाता दर्ज रिकार्ड है जिसमें प्रतिवादी क्रम 1 का हिस्सा 1/2 निहीत है। वादी व प्रतिवादी क्रम 1 पेश राजीनामा अनुसार खाता पृथक से दर्ज रिकार्ड करवाना चाहते है। जिसमें वादी के भाई त्रिलोक मीणा व मां कैलामती बाई ने भी सहमति पत्र पेश कर अनापत्ति पेश की है तथा आदेशिका पर सहमति हस्ताक्षर किए है।

पत्रावली पर उलब्ध दस्तावेज आधार कार्ड के अनुसार वादी प्रतिवादी क्रम 1 का वैध वारिस है। अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

–:क्रियात्मक आदेशः–

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी ग्राम व माल निमोदा पटवार हल्का भैंसडा तहसील अटरू के खाता सं. 41 का ख.नं. 234

का रकबा 0.80 हे०, ख.नं. 430/74 का रकबा 0.03 हे0, ख.नं. 431/76 का रकबा 0.11 हे0, ख.नं. 432/96 का रकबा 0.30 हे0, ख.नं. 433/151 का रकबा 4.32 हे0, ख.नं. 434/258 का रकबा 0.88 हे०, ख.नं. 63 का रकबा 0.94 हे0, ख.नं. 65 का रकबा 1.22 हे0, ख.नं. 95/346 का रकबा 0.10 हे0 कुल किता 9 का कुल रकबा 8.70 हेक्टर आराजी में प्रतिवादी क्रम 1 का हिस्सा 1/2 में से वादी को 1/2 हिस्से का राजीनामा के अनुसार खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। राजीनामा निर्णय का भाग रहेगा। भूमि की किस्म यथा गै0मु0 छतरी, गै0मु0 रास्ता, गै0मु0 खाल, माल 1, बारानी 1, बारानी 2, गै0मु0 चाह, चाही, जाव का नोट खाते में यथावत रखा जावें। तहसीलदार अटरू संबंधित खातेदार द्वारा बैंक का रहन का ऋण जमा कराये जाने के पश्चात नियमानुसार पालना किया जाना सुनिश्चित करें। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 30.06.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओम प्रकाश चन्देलिया)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)
<u>आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)</u>
बइजलास. श्री ओम प्रकाश चन्देलिया (R.A.S.) उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)

प्रकरण सं0 72/2023 **दायर दिनांकः 05.07.2023**

उनवान

1. सुनिल उम्र 30 वर्ष पुत्र घांसीलाल जाति मीणा निवासी निमोदा तहसील अटरू जिला बारां (राज०)

वादी

बनाम

2. घांसीलाल उम्र 50 वर्ष पुत्र देवीलाल जाति मीणा निवासी निमोदा तहसील अटरू जिला बारां (राज०)
3. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तह0 अटरू जिला बारां।

प्रतिवादीगण

<u>वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 92 'ए' आर.टी.एक्ट</u>

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कनई ....X................ रूबरू...............X..............................

बहाजिर :–
वादीगणः– विद्वान अभिभाषक श्री सुरेश कुमार शर्मा
प्रतिवादीः– स्वयं
मिनजानित मुदई रूबरू ....X..
मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। विवादित आराजी ग्राम व माल निमोदा पटवार हल्का भैंसडा तहसील अटरू में खाता सं. 41 का ख.नं. 234 का रकबा 0.80 हे०, ख.नं. 430/74 का रकबा 0.03 हे0, ख.नं. 431/76 का रकबा 0.11 हे0, ख. नं. 432/96 का रकबा 0.30 हे0, ख.नं. 433/151 का रकबा 4.32 हे0, ख.नं. 434/258 का रकबा 0.88 हे०, ख.नं. 63 का रकबा 0.94 हे0, ख.नं. 65 का रकबा 1.22 हे0, ख.नं. 95/346 का रकबा 0. 10 हे0 कुल किता 9 का कुल रकबा 8.70 हेक्टर आराजी में प्रतिवादी क्रम 1 का हिस्सा 1/2 में से वादी को 1/2 हिस्से का राजीनामा के अनुसार खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। राजीनामा निर्णय का भाग रहेगा। भूमि की किस्म यथा गै0मु0 छतरी, गै0मु0 रास्ता, गै0मु0 खाल, माल 1, बारानी 1, बारानी 2, गै0मु0 चाह, चाही, जाव का नोट खाते में यथावत रखा जावें। तहसीलदार अटरू संबंधित खातेदार द्वारा बैंक का रहन का ऋण जमा कराये जाने के पश्चात नियमानुसार पालना किया जाना सुनिश्चित करें।

(ओम प्रकाश चन्देलिया)
उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

निज ....X..................... मुबालिक ....X............... बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह ......X....................... .... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....X......................... अदा करूंगा।
मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 30.06.2025 को जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		मुदालयह	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)